

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम०के० सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक ३९३८-एक/२०१६ विरुद्ध आदेश दिनांक

१७-११-२०१६ - पारित द्वारा तहसीलदार नौगाँव जिला छतरपुर -

प्रकरण क्रमांक ९० अ-६८/२०१५-१६

गोविन्द सिंह बुन्देला पुत्र मानसिंह

ग्राम मउ सहानिया तहसील नौगाँव

जिला छतरपुर मध्य प्रदेश

---आवेदक

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन

---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री लखन सिंह धाकड़ )

(अनावेदक के पैनल लायर श्री डी०के०शुक्ला)

आ दे श

(आज दिनांक ९ - १२ - २०१६ को पारित)

तहसीलदार नौगाँव जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक ९० अ-६८/२०१५-१६ में पारित आदेश दिनांक १७-११-२०१६ के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, १९५९ की धारा ५० के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई।

2- प्रकरण का सारोंश यह है कि पटवारी हलका मउ ने तहसीलदार नौगाँव को इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि मउ स्थित भूमि खसरा नंबर १३१४/३ रकबा ०.६९९ हैक्टर , जो मध्य प्रदेश शासन शासकीय भवनों हेतु आरक्षित है , पर गोविन्द सिंह बुन्डेला पुत्र मानसिंह ने अतिकमण करके ३०x४० वर्गफुट पर मकान व दुकान बनाकर अतिकमण कर लिया है। तहसीलदार नौगाँव ने प्रकरण क्रमांक ९० अ-६८/ २०१५-१६ पंजीबद्व किया तथा आवेदक को सुनकर आदेश आदेश दिनांक १७-११-२०१६ पारित किया एंव आवेदक पर २०,०००/-रु. अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुये बेदखली के आदेश दिये। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3- निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने गये तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4- निगरानी मेमो के तथ्यों एंव उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि पटवारी द्वारा तहसीलदार नौगाँव को अतिकमण की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है प्रस्तुत रिपोर्ट पर से स्पष्ट है कि वादग्राह्त भूमि खसरा नंबर १३१४/३ रकबा ०.६९९ हैक्टर मध्य प्रदेश शासन द्वारा भवनों के निर्माण हेतु आरक्षित है अर्थात वाद विचारित भूमि का मद भवन निर्माण हेतु सुरक्षित है जिसके ३०x४० वर्गफुट पर मकान व दुकान बनाकर अतिकमण करना पटवारी ने प्रतिवदित किया है तब क्या निर्मित पक्के मकान एंव दुकान के भाग को संहिता की धारा २४८ के अंतर्गत अतिकमण-स्वरूप हटाया जा सकता है ?

(M)

R/  
18

अनुजराम विरुद्ध म०प्र०शासन १९६९ राजस्व निर्णय ४४७ में ख्यष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत के आश्वासन पंर, कि भूमि का पटठा दिया जायेगा, मकान निर्माण सदभावनापूर्ण किया गया, ऐसा अतिक्रमण हटाने योग्य नहीं है। विचाराधीन प्रकरण में ग्राम पंचायत मउ ने आवेदक को दिनांक १६-४-१९९९ में भूमि खसरा नंबर १३१४/३ के ३०x४० वर्गफुट पर मकान बनाने हेतु पटठा प्रदान दिया है। इसी प्रकार बेनीप्रसाद पाण्डेय विरुद्ध म०प्र० राज्य १९८० रा०नि० १५४ का व्याय दृष्टांत है कि आवेदक को ग्राम पंचायत ने पटठा दिया जो इतालवी रजिस्टर में दर्ज है भवन निर्माण की ग्राम पंचायत की अनुमति है। राजस्व मण्डल ने तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा २४८ के अंतर्गत पारित बेदखली आदेश, एस०डी०ओ० का अपीलीय आदेश तथा अतिरिक्त आयुक्त का अपीलीय आदेश दिनांक ९-९-७६ निरस्त किया है एंव निगरानी खीकार हुई है। विचाराधीन निगरानी प्रकरण की भी यही रियति है क्योंकि ग्राम पंचायत मउ ने आवेदक को ग्राम मउ की भूमि खसरा नंबर १३१४/३ के ३०x४० वर्गफुट पर मकान बनाने हेतु पटठा दिया है तथा ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक २५-१-२००७ को आवेदक को मकान बनाने की अनुमति भी प्रदान की गई है, तदुपरांत आवेदक ने ग्रामीण बैंक से ऋण लेकर मकान का निर्माण करना अभिलेख से परिलक्षित है। पूर्व में भी ग्राम व्यायालय में अतिक्रमण की शिकायत होने पर आदेश दिनांक ३०-९-२००४ से अतिक्रमण न होना मानकर प्रकरण निरस्त हुआ है जिसके कारण आवेदक के विरुद्ध इन अभिलेखों के देखे बिना तहसीलदार नौगाँव द्वारा प्रकरण क्रमांक ९० अ-६८/ २०१५-१६ में पारित आदेश दिनांक १७-११-२०१६ से की गई बेदखली की कार्यवाही

वियमानुसार होना नहीं पाई गई है क्योंकि आवेदक द्वारा ग्राम पंचायत से वाद विचारित भूखंड लेना प्रमाणित किया है जिसके कारण तहसीलदार द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

५/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार नौगाँव जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक ९० अ-६८/ २०१५-१६ में पारित आदेश दिनांक १७-११-२०१६ वृटिपूर्ण होने से निररत किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार की जाती है।



(एम०क०सिंह)

सदस्य  
राजस्व मण्डल  
मध्य प्रदेश न्यायिक विभाग

